सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW Dated:-17.07.2025

To

The Chairman & Managing Director,
Hindustan Prefeb Limited
Jangpura, Near Rajdoot Hotel,
New Delhi-110014
Email - hplcmd@gmail.com
Phone- 011 -43149822

Sub: हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ भेद भाव करने के संबंध में :- श्री धन्ना उराँव (Sr. Token Attendant), हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड , जंगपुरा, नई दिल्ली का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

Encl: as above

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-

श्री धन्ना उराँव,
Sr. Token Attendant
हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड,
जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW

श्री धन्ना उराँव, वरिष्ठ टोकन अटेंडेंट, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर : 9910102812 के अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग / सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई की दिनांक व समय : 30 जून 2025 को अपराह्न 03:40 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : संलग्नक-I के अनुसार

श्री धन्ना उराँव, वरिष्ठ टोकन अटेंडेंट, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (HPL), जंगपुरा, नई दिल्ली ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 12.05.2023 में उल्लेख किया कि उन्होंने 07.12.1995 को अनुसूचित जनजाति बैकलॉग रिक्तियों के अंतर्गत टोकन अटेंडेंट-II पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। इसके पूर्व वे बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, रांची डेयरी में कार्यरत थे।

2. श्री उराँव ने बताया कि कंपनी में प्रारंभ से ही उन्होंने लिपिकीय कार्य किए और कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें क्रमशः 2013 में कनिष्ठ लिपिक, 2015 में नियमित तथा 2017 में वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत किया गया। किन्तु, श्री आनंद कुमार शर्मा (सहायक प्रबंधक - अभियंता) द्वारा उन्हें पुनः वरिष्ठ टोकन अटेंडेंट पद पर ला दिया गया और सेवा-हित लाभों से वंचित कर दिया गया, जो कि भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का मामला है।

3. आयोग द्वारा इस संबंध में दिनांक 29.08.2023 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया। आयोग के नोटिस के संदर्भ में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे संतोषजनक न पाए जाने पर आयोग ने मामले में तीन बार सुनवाई की।

4. मामले में अपेक्षित कार्रवाई न होने, शिकायतकर्ता से लगातार प्रत्युत्तर प्राप्त होने तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 30.06.2025 निर्धारित की गई। तदनुसार, समन जारी किए गए।

5. प्रकरण की सुनवाई में आयोग के समक्ष अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता भी सुनवाई में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किया।

सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

i. याचिकाकर्ता श्री धन्ना उराँव को वर्ष 1995 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत टोकन अटेंडेंट पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2013 में उक्त पद का पुनः नामकरण कर उसे कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) किया गया। हालांकि, संबंधित प्राधिकरण के अनुसार, इस नाम परिवर्तन के समय किसी भी कार्मिक को वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए गए। तत्पश्चात, चूँकि कैडर में कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पद

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

पूर्व से विद्यमान थे, अतः भर्ती नियमों (Recruitment Rules – RRs) के अनुसार, इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वरिष्ठ लिपिक पदों पर पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ प्राप्त हो गए। यह प्रशासनिक चूक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD, HPL) द्वारा स्वीकार की गई है।

ii. विदित हो कि वर्ष 2004 में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, किंतु वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा टोकन अटेंडेंट पदधारकों को कनिष्ठ लिपिक के रूप में पुनः नामित कर कार्यबल में समायोजित किया गया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता एंव अन्य को बिना स्पष्ट कारण के वरिष्ठ लिपिक के पद से पदावनति (Demotion) करते हुए पुनः टोकन अटेंडेंट के पद पर ला दिया गया। तत्पश्चात, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) प्रदान कर सेवा से पृथक कर दिया गया। आयोग में प्रकरण लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को सेवा में अस्थायी रूप से पुनः लिया गया, किंतु बाद में उन्हें पुनः सेवा से हटा दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई — पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पुनः नियुक्ति और पुनः सेवा से पृथक्करण — न केवल प्रशासनिक दृष्टि से जटिल प्रतीत होती है, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न खड़े करती है। अतः आयोग अपेक्षा करता है कि संबंधित प्राधिकारी इस समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में एक स्पष्ट, क्रमवार एवं लिखित स्पष्टीकरण आयोग को उपलब्ध कराएं।

iii. वह नीति निर्णय अथवा प्रशासनिक आदेश की प्रमाणित प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता की पदावनति की गई थी।

iv. यदि याचिकाकर्ता को पद से हटाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई विभागीय जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट अथवा कार्यवाही विवरण की प्रति आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
14/07/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW

Sitting to be held on **30.06.2025 at 03.40 P.M-** Regarding discrimination against a Scheduled Tribe employee by Hindustan Prefab Limited – Representation dated 12.05.2023 from **Shri Dhanna Oraon** (Sr. Token Attendant), Hindustan Prefab Limited, Jangpura, New Delhi.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o CMD, Hindustan Prefab Limited, New Delhi**		
1.	GURJEET SINGH DHILLON	9456550606 R.No. 210L, NIRMAN BHAWAN,	[signature]
2.	DESH RAJ	9910903084 HPL Jangpura New Delhi-14	[signature]
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Dhanna Oraon	9310102812	[signature]
2.			